

फार्म
प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2012

अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **राकेश सक्सेना, राज्य नगर पालिका सेवा** 2 वर्तमान धारित पद **निज सचिव, राज्य मंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास**

3. वर्तमान वेतन **रु. 18380 + अन्य भत्ते** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **जुलाई-2013**

उस जिले, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल एवं कोलार	भवन	प्लॉट (30 X 60)	50.00 लाख अनुमानित	श्रीमती गंजू सक्सेना (पत्नि)	श्रीमती गंजू सक्सेना, भारतीय स्टेट बैंक में कार्यरत। बैंक ऋण एवं स्वयं की बचत से क्रय किया गया। (वर्ष - 2000 एवं 2008)	निरंक	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टा भी सम्मिलित है।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करे और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्योरे दे।

हस्ताक्षर

 14.1.13

नाम **राकेश कुमार सक्सेना**

पद **निज सचिव,**

विभाग **नगरीय प्रशासन एवं विकास**